प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय

नई दिल्ली
12th अगस्त, 2026

संघ सरकार रेल मंत्रालय- रेलवे वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत

2026 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 3 – 'संघ सरकार रेल मंत्रालय- (रेलवे वित्त) आज संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई ।

यह रिपोर्ट भारतीय रेलवे (भा. रे.) के वित्त और लेखा का विश्लेषणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है और मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित खातों पर आधारित है।

रिपोर्ट को तीन अध्यायों में संरचित किया गया है। रिपोर्ट का अध्याय । (वित्तीय स्थिति) पिछले वर्ष के संदर्भ में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है, साथ ही आय, व्यय, भंडार, परिचालन दक्षता आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र रुझानों का विश्लेषण करता है। रिपोर्ट का अध्याय ।। (विनियोजन खाते) मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भा. रे. के विनियोजन खातों का सारांश और टिप्पणियां प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट का अध्याय ।।। (भा. रे. के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन) मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय अवलोकन प्रस्तुत करता है।

केंद्रीय रेल मंत्रालय (रेलवे वित्त) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 3, 2026 के प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:

अध्याय I: वित्तीय स्थिति

• वर्ष 2023-24 के दौरान रेल मंत्रालय (रे. म.) का कुल व्यय ₹ 5,15,050.66 करोड़ रहा (पिछले वर्ष की तुलना में 16.62 प्रतिशत अधिक)। इसमें ₹ 2,62,216.93 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 28.55 प्रतिशत अधिक) पूंजीगत व्यय और ₹ 2,52,833.73 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 6.38 प्रतिशत अधिक) राजस्व व्यय शामिल था। रेल मंत्रालय ने कुल परिचालन व्यय का लगभग 72.89 प्रतिशत कर्मचारियों की लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक पर लीज किराया शुल्क पर खर्च किया।

(पैरा 1.1 और 1.4.1)

• वर्ष 2023-24 के दौरान कुल यातायात राजस्व ₹ 2,55,272.64 रहा, जो पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में 6.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कुल राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से यात्री आय, अन्य कोचिंग आय और माल ढुलाई आय में वृद्धि के कारण हुई। माल ढुलाई आय में कोयले के परिवहन का योगदान 51.32 प्रतिशत था।

(पैरा 1.1 और 1.2.3(क))

• 2023-24 में ₹ 3,259.68 करोड़ का शुद्ध अधिशेष रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 2,517.38 करोड़ था। परिचालन अनुपात (ओआर) 2023-24 में 98.43 प्रतिशत रहा, जबकि 2022-23 में यह 98.10 प्रतिशत था।

(पैरा 1.1)

• मूल्यह्रास के लिए अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप, पुराने परिसंपत्तियों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन (थ्रो फॉरवर्ड) कार्यों का ढेर लग गया, जिसका अनुमान 2023-24 तक लगभग ₹30,921 करोड़ है।

(पैरा 1.7.1)

<u>अध्याय II- विनियोग लेखे</u>

• रेल मंत्रालय (रे. म.) ने राजस्व अनुदान (3002-03) के तहत ₹ 1,28,852.28 करोड़ के स्वीकृत बजट से ₹ 9,797.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैरा 2.2.1)

• वर्ष 2023-24 के दौरान 5 मामलों (राजस्व अनुदान 3002-03 और पूंजी अनुदान 5002-03 के तहत) में ₹ 50,694.82 करोड़ की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी।

(पैरा 2.2.2)

• मुख्य शीर्ष 3002-03 - (07) (प्रभारित) के तहत ₹ 17.48 करोड़, मुख्य शीर्ष 3002-03 - (10) (प्रभारित) के तहत ₹ 64.62 करोड़ और मुख्य शीर्ष 3075 (60)-102 (दत्तमत) के तहत प्राप्त ₹ 0.01 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधानों के बावजूद, उक्त राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 28.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 25.57 करोड़ की बचत और ₹ 1,945.15 करोड़ की अधिकता रही।

(पैरा 2.5)

• पूंजी अनुदान (5002-03) के ' दत्तमत ' और ' प्रभारित ' अनुभागों के तहत क्रमशः ₹ 69.84 करोड़ और ₹ 619.54 करोड़ के पूरक प्रावधान प्राप्त होने के बावजूद, उक्त पूंजी मुख्य शीर्षों के तहत क्रमशः ₹ 10,326.13 करोड़ की बचत और ₹ 95.84 करोड़ की अधिकता रही।

(पैरा 2.5)

• खर्च के वर्गीकरण में गलतियाँ पाई गईं, जैसे राजस्व अनुदान को पूंजी अनुदान में और इसके विपरीत, मतदान द्वारा स्वीकृत खर्च को प्रभारित खर्च में और इसके विपरीत तथा अन्य गलतियाँ जैसे राजस्व अनुदान को राजस्व अनुदान में (उप-मुख्य शीर्षों के बीच), पूंजी अनुदान को पूंजी अनुदान में (रेलवे निधियों के बीच) और राजस्व अनुदान को आय में दिखाना।

(पैरा 2.7)

• रेल मंत्रालय (रे. म.) द्वारा ₹ 9,122.24 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया गया, जिसमें 1,999 मामले शामिल थे; यह वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 1.24 प्रतिशत था।

(पैरा 2.8)

अध्याय 3: भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

• मार्च 2024 तक, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी और ऋणों का निवेश ₹5,28,276.78 करोड़ था, जिसमें ₹ 63,225.15 करोड़ की चुकता पूंजी और ₹4,65,051.63 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। भारत सरकार ने रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की चुकता शेयर पूंजी में ₹ 48,959.14 करोड़ (77.45 प्रतिशत) का योगदान दिया। शेष चुकता शेयर पूंजी ₹ 14,266.01 करोड़ का योगदान वित्तीय संस्थानों (5.60 प्रतिशत), केंद्र सरकार की कंपनियों (5.54 प्रतिशत) और राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों (11.41 प्रतिशत) द्वारा किया गया।

(पैरा 3.2.1)

• रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शुद्ध लाभ में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, और यह 2019-20 में ₹6,482.28 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹12,737.15 करोड़ हो गया है।

(पैरा 3.2.1)

• कुल 45 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, 35 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (10 रेलवे कंपनियाँ, 14 सहायक कंपनियाँ, पाँच संयुक्त उपक्रम और छह विशेष प्रयोजन वाहन) ने वर्ष 2023-24 के दौरान

लाभ (₹ 12,837.56 करोड़) अर्जित किया। केवल 12 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सात रेलवे कंपनियाँ, दो सहायक कंपनियाँ, एक संयुक्त उपक्रम और दो विशेष प्रयोजन वाहन) ने मई 2016 के दीपम निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित किया; इन निर्देशों में यह प्रावधान था कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सी.पी.एस.ई.) 'कर-पश्चात लाभ' का न्यूनतम 30 प्रतिशत या 'शुद्ध संपत्ति' का पाँच प्रतिशत इनमें से जो भी अधिक हो उतना लाभांश देगा।

(पैरा 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

• 31 मार्च 2024 तक, सात सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल बाज़ार पूंजीकरण ₹ 4,16,122.88 करोड़ था।

(पैरा 3.3.3.3)

BSC/R/IK/57-26